

उत्तर प्रदेश शासन,  
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1  
संख्या-213<sup>0</sup>/80-1-2017-359/2017  
लखनऊ: दिनांक 20 नवम्बर, 2017

कार्यालय-आदेश

भारत सरकार द्वारा ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के रूप में गवमेंट ई-मार्केटप्लेस (Gem) विकसित किया गया है, जो Gem.gov.in पर उपलब्ध है। राज्य सरकार द्वारा इस पोर्टल को शासनदेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016 दिनांक 23 अगस्त 2017 द्वारा अंगीकृत कर लिया गया है। इस पोर्टल के उपयोग हेतु प्राथमिक उपयोग कर्ता (प्राइमरीयूजर्स) के रूप में निम्न अधिकारी को पदनाम से इंगित भूमिका (Role) हेतु अधिकृत किया जाता है:-

Sr.n o.	Role	Designation	Name of Organization
1	Primary User	निदेशक	राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2	Verifying officer	प्रमुख सचिव agriculturemark eting1@gmail. com	कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

2. उपरोक्त प्राइमरी यूजर Gem (<http://gem.gov.in/auth/register>) पर पंजीकरण लेगे।

3. यदि एक अधिकारी उपरोक्त दो या अधिक संस्थाओं में प्राइमरी यूजर हैं, तो एक को छोड़कर शेष संस्थाओं में वे अपने अधीन वरिष्ठतम अधिकारी को उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्राइमरी यूजर नामित करेंगे।

4. प्राइमरी यूजर्स के जेम पर पंजीकरण हेतु निम्नलिखित सूचना की आवश्यकता होगी:-

- आधार नम्बर
- आधार नम्बर से जुड़ा हुआ मोबाइल नम्बर
- सरकारी ई-मेल आईडी (nic.in/gov.in domain पर)

5. एक रूपता लिए विभागाध्यक्ष/संस्था प्रमुख द्वारा उक्त मेल आईडी का अकाउंट नेम/यूजरनेम से पूर्व का भाग यूजर आईडी के रूप में रखा जाए।

शासकीय विभागों द्वारा किसी भी बैंक एकाउण्ट को व्यवहृत नहीं किया जाता है, अतः बैंक के विवरण की स्क्रीन को खाली छोड़ते हुए आगे की सूचनाएं पोर्टल पर भरी जाएं। शेष स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा उपकर्मों द्वारा अपने बैंक विवरण को भरा जाए।

SO  
50 Gem file 45425  
28/11/17 dt  
27/11/17  
28/11/17

PS/AA  
25/11

211  
25-11-17

S.A/CT 6

27/11/17  
(जितेंद्र प्रताप सिंह)  
अपर-निदेशक (प्रशासन)

7. जब तक जेम पोर्टल का ट्रेजरी के साथ इण्टीग्रेशन किया जा रहा है, तक तक के लिए प्राइमरी यूजर्स द्वारा पेमेण्ट मेंथड में शासकीय विभागों द्वारा **Others** तथा पुनः नीचे के कॉलम में **Others** को चयनित किया जाए। शेष स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा उपक्रमों द्वारा इंटरनेट बैंकिंग का चयन किया जाए।
8. प्राइमरी यूजर्स की जिम्मेदारी होगी किस भी सेकेण्डरी यूजर्स जेमपोर्टल के परिचालन से परिचित होकर सही ढंग से इसका उपयोग कर सकें।
9. सभी उपयोग कर्ता जेमपोर्टल के नियमों एवं शर्तों के अनुसार एवं शासन द्वारा विहित प्रक्रियाओं के तहत जेमपोर्टल का उपयोग करें।

अमित मोहन प्रसाद  
प्रमुख सचिव।

संख्या-213०(1)/80-1-2017तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जेम, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- ✓ 2. निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(समर बहादुर)  
अनु सचिव।